प्रकरण संख्या : 178 / 2022
प्रभु बनाम जगदीश वगै.
निर्णय दिनांक : 16.07.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंथल (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	178 / 2022
दायर दिनांक	:	25.01.2022
निर्णय दिनांक	:	16.07.2025

1. प्रभु उम्र 65 वर्ष पुत्र झुथा
2. माधो उम्र 60 वर्ष पुत्र झुथा

जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी कुण्डल तहसील कुण्डल जिला दौसा

वादी

बनाम

1. जगदीश उम्र 70 वर्ष पुत्र भौरया जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी कुण्डल तहसील कुण्डल
2. मूलचन्द उम्र 60 वर्ष पुत्र भौरया जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी कुण्डल तहसील कुण्डल हाल निवासी त्रिमूर्ति स्कूल के सामने मंगल विहार कालोनी जामडोली जयपुर
3. राजस्थान मरूधरा ग्राम बैंक शाखा कुण्डल तहसील कुण्डल जरिये शाखा प्रबंधक
4. उपपंजीयक दौसा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कुण्डल जिला दौसा

प्रतिवादीगण

वाद तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता : श्री विनोद कुमार विजय (अधिवक्ता वादी)
श्री राजेन्द्र कुमार जांगिड(अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2)

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण द्वारा एक वाद तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम कुण्डल तहसील कुंडल में भूमि खसरा नम्बर 422 / 2237 रकबा 1.4400 है., खसरा नम्बर 474 रकबा 0.3100 है0, खसरा नम्बर 476 रकबा 0.5500 है0, खसरा नम्बर 603 रकबा 0.1000 है0, खसरा नम्बर 604 रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 605 रकबा 0.3000 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.8200 है0 है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/2 है। उक्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत तकारमा नहीं हुआ है। मौके पर बाहमी तकास्मे से काबिज है। बाहमी तकास्मे से प्रतिवादी नंबर 1 व 2 खसरा नम्बर 422 / 2237 रकबा 1.4400 है0 पर काबिज है तथा वादीगण खसरा नम्बर 474, 476, 603, 604, 605 के सम्पूर्ण रकबे पर मौके पर काबिज है एवं भूमि शामलाती है। वादी ने प्रतिवादीगण से भूमि का विभाजन करने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण वादी से झगडा करने पर आमादा हो गये और वादीगण की कब्जे की भूमि का बेचने की धमकी दी एवं उन्होंने शामलाती भूमि का विभाजन करने से मना किया। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

है कि वादग्रस्त आराजी का सरस–नरस के आधार पर तकास्मा किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद जांगिड ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने एक संयुक्त राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री जारी करने में अपनी सहमति व्यक्त की गयी। राजीनामा अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया। तहसीलदार से ग्राम कुण्डल से संबंधित प्रश्नगत आराजी की कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय प्राप्त हुयी।

कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। उभय पक्षों ने कुर्रेजात अनुसार तकास्मा किये जाने एवं प्रकरण में अन्तिम डिक्री फरमाने में अपनी सहमति व्यक्त की। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में ग्राम कुण्डल स्थित प्रश्नगत आराजी का तकास्मा किये जाने एवं प्रश्नगत आराजी के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में तहसीलदार ने ग्राम कुण्डल स्थित प्रश्नगत आराजी की कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 जमाबंदी (वर्ष 2022 से स्थायी) अनुसार ग्राम कुण्डल तहसील कुंडल स्थित खसरा नम्बर 422 / 2237, 474, 476, 603, 604, 605 कुल किता 6 कुल रकबा 2.8200 है॰ वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात में दर्शाये गये तकास्मे में अपनी सहमति व्यक्त की है। प्रकरण में ग्राम कुण्डल स्थित प्रश्नगत आराजी की कुर्रेजात रिपोर्ट ही न्यायालय को प्राप्त हुयी है। उभय पक्षों द्वारा भी ग्राम कुण्डल की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार तकास्मा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। निष्कर्षतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कुण्डल तहसील कुंडल स्थित खसरा नम्बर 422 / 2237, 474, 476, 603, 604, 605 कुल किता 6 कुल रकबा 2.8200 है॰ का तकास्मा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य निम्नानुसार किया जाकर उभय पक्षों को एक–दूसरे के क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (है॰)	किस्म
1.	जगदीश, मूलचन्द पि0 भौरया हि.ब. जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	422 / 2237	1.44	बारानी 1
2.	प्रभु, माधो पि0 झूंथा हि.ब. जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन राज. मरूधरा ग्रामिण बैंक शाखा कुण्डल मूर्त0	474	0.31	चा.A 0.06 जा.A0.25
		476	0.55	चा.A 0.11 जा.A0.44
		603	0.10	बारानी 1
		604	0.12	बारानी 1
		605	0.30	बारानी 1

निर्णयानुसार पर्चा अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार कुंडल को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा खिलवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी, सैंथल

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सैंथल
व इजलास मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.

1. प्रभु उम्र 65 वर्ष पुत्र झुथा
2. माधो उम्र 60 वर्ष पुत्र झुथा
   जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी कुण्डल तहसील कुण्डल जिला दौसा

वादी

बनाम

1. जगदीश उम्र 70 वर्ष पुत्र भौरया जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी कुण्डल तहसील कुण्डल
2. मूलचन्द उम्र 60 वर्ष पुत्र भौरया जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी कुण्डल तहसील कुण्डल हाल निवासी त्रिमूर्ति स्कूल के सामने मंगल विहार कालोनी जामडोली जयपुर
3. राजस्थान मरूधरा ग्राम बैंक शाखा कुण्डल तहसील कुण्डल जरिये शाखा प्रबंधक
4. उपपंजीयक दौसा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कुण्डल जिला दौसा

प्रतिवादीगण

वाद तकास्मा
मुकदमा नम्बर : 178 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस. एवं हाजरी श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता वादीगण, श्री राजेन्द्र प्रसाद जांगिड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् तकास्मा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कुण्डल तहसील कुण्डल स्थित खसरा नम्बर 422 / 2237, 474, 476, 603, 604, 605 कुल किता 6 रकबा 2.8200 है. का तकास्मा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य निम्नानुसार किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
1.	जगदीश, मूलचन्द पि0 भौरया हि.ब. जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	422 / 2237	1.44	बारानी 1
2.	प्रभु, माधो पि0 झूंथा हि.ब. जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन राज. मरूधरा ग्रामिण बैंक शाखा कुण्डल मूर्त0	474	0.31	चा.A 0.06 जा.A0.25
		476	0.55	चा.A 0.11 जा.A0.44
		603	0.10	बारानी 1
		604	0.12	बारानी 1
		605	0.30	बारानी 1

तहसीलदार कुंडल डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करे।
निज ——— मुबलिग ———— बाबत ———— खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद बशरह ———— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———— अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.07.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा सैंथल

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सैंथल

मुकदमा नम्बर : 178 / 2022

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालत नामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजह सबूत	0	0	महन्ताना वकील	0	0
महन्ताना वकील	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	फीस कमिश्नर	0	0
फीस कमिश्नर	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	मुतफरिक	0	0
गुतफरिक	0	0			
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सैंथल, दौसा (राज.)